न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : **मानाराम पटेल आर.ए.एस.**

राजस्व अपील संख्या 259/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
स्वरूप कंवर पत्नी शिव सिह जाति चारण निवासी डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 22–3–2017 जो तहसीलदार जैतारण द्वारा वसीयत प्रकरण संख्या 3/2015 मे पारित किया गया ।

उपस्थिति –

1– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 13–8–2018

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि ग्राम डिगरना के खसरा नंबर 416 की 12.12 बीघा भूमि की खातेदार अपीलार्थियां की भुआ प्रतापकंवर पत्नी महेशदान जाति चारण ने अपने जीवनकाल मे अपीलार्थियां के पक्ष मे एक वसीयतनामा दिनांक 13–10–2006 को निष्पादित किया था तथा उक्त खातेदार प्रतापकंवर (लाऔलाद) दिनांक 24–12–2010 को फोत होने पर उक्त भूमि के संबंध मे अपीलार्थियां के पक्ष मे की गई वसीयत के आधार पर म्युटेशन दर्ज करने हेतु अपीलार्थियां ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार जैतारण के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर तहसीलदार जैतारण ने वसीयत मे दर्ज साक्षियो के बयान कलमबद्ध करके तथा पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब कर वसीयत मे वर्णित अपीलाधीन भूमि को पुश्तैनी भूमि होना मानते हुए वसीयत को नकारते हुए अपीलार्थियां के प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–3–2017 के द्वारा खारीज कर देने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन भूमि की खातेदार प्रतापकंवर लाऔलाद फोत हो गई थी तथा पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे एक वंशावली प्रस्तुत की गई, जिसकी ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए अपीलार्थियां के अधिवक्ता ने कथन किया कि मृतक खातेदार प्रतापकंवर पत्नी महेशदान के देवर नेनदान एवं उसके वारिसान पुत्र, पुत्रियां एवं उनके वारिसान ने अपीलाधीन भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई क्लेम नही किया है जो जब कोई क्लेमेंट नही है तो भूमि पुश्तैनी हो या स्वअर्जित, दोनो ही स्थिति मे वसीयत को

आधार मानकर अपीलार्थियां के पक्ष मे म्युटेशन स्वीकृत करने बाबत आदेश पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थियां के प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर अपीलार्थियां की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि तहसीलदार जैतारण ने अपीलार्थियां के पक्ष मे निष्पादित वसीयतनामे के गवाहान को तलब कर उनके बयान कलमबद्ध किये जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे है तथा उक्त बयानो मे भी वसीयत के गवाहो ने अपीलार्थियां के पक्ष मे मृतक खातेदार प्रतापकंवर द्वारा वसीयत की जाना स्वीकार किया तथा वसीयत को सही होना माना है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलार्थियां ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के द्वारा अपीलाधीन भूमि मृतक खातेदार के नाम रह गई जबकि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे रेकर्ड पर उपलब्ध वंशावली अनुसार किसी भी अन्य वारिसान ने कोई क्लेम ही पेश नही किया है तो अपीलार्थियां के पक्ष मे निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर म्युटेशन दर्ज करने का आदेश पारित करने करने का निवेदन किया ।

अंत मे उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–3–2017 को निरस्त कर वसीयत के आधार पर अपीलार्थियां के पक्ष मे नामांरतरकण दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन भूमि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार मृतक खातेदार को विरासत मे प्राप्त होना बताया है उक्त भूमि मृतक खातेदार की स्वअर्जित भूमि नही होने से उक्त भूमि की वसीयत करने का अधिकार खातेदार को नही था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे यही विवेचन देते हुए अपीलार्थियां के प्रार्थना पत्र को खारीज किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–3–2017 का अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया । अपीलाधीन भूमि की खातेदार प्रतापकंवर पत्नी महेशदान जाति चारण निवासी डिगरना ने अपनी खातेदारी की भूमि के संबंध मे एक अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा अपनी भतीजी वर्तमान अपीलार्थियां स्वरूपकंवर के पक्ष मे दिनांक 13–10–2006 को निष्पादित की तथा उक्त खातेदार प्रतापकंवर का

देहांत दिनांक 24–12–2010 को हो गया, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है । उक्त खातेदार की मृत्यु उपरांत अपीलार्थियां ने अपीलाधीन भूमि के संबंध मे उसके पक्ष मे की गई वसीयत के आधार पर म्युटेशन उसके पक्ष म स्वीकृत कर बतौर खातेदार अपना नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जैतारण के समक्ष पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के साथ अपने पक्ष मे मृतक खातेदार प्रतापकंवर द्वारा निष्पादित अन रजिस्टर्ड वसीयत का दस्तावेज तथा खातेदार प्रतापकंवर का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थियां के पक्ष मे निष्पादित वसीयत की जांच हेतु प्रकरण दर्ज कर वसीयत के गवाह को तलब कर उनके बयानात आदि लेकर पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट तलब की । पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजुद है उसका भी अवलोकन किया । उक्त जांच रिपोर्ट मृतका प्रतापकंवर पत्नी महेशदान को उक्त वसीयतसुदा भूमि उतराधिकार मे प्राप्त होना बताया तथा उक्त भूमि पर अपीलार्थियां स्वरूपसिह पत्नी शिवसिह चारण का कब्जा काश्त होना बताया गया है तथा अपीलाधीन भूमि के वसीयतकर्ता के वारिसान की सूची भी पटवारी पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे प्रस्तुत की है ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जैतारण ने अपीलाधीन निर्णय मे वसीयत की गई भूमि वसीयतकर्ता को उतराधिकार मे प्राप्त होना अथार्त पैतृक व पुश्तैनी भूमि है, न कि स्वअर्जित । नियमो के अन्तर्गत स्वअर्जित भूमि की ही वसीयत मान्य होती है इसलिए प्रार्थियां वर्तमान अपीलार्थियां द्वारा वसीयत के आधार पर उसके पक्ष मे म्युटेशन स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया ।

वर्तमान मामले मे अपीलार्थियां के अधिवक्ता यह साबित नही कर पाये कि उक्त अपीलाधीन भूमि मृतका प्रतापकंवर की स्वअर्जित भूमि थी जैसाकि वसीयतनामे मे अपीलाधीन भूमि स्वअर्जित होने का उल्लेख है परंतु जब तहसीलदार जैतारण के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट मे मृतका के वारिसान की सूची प्रस्तुत कर दी थी परंतु उनके द्वारा अपीलाधीन भूमि का विरासत या उतराधिकार के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करवाने बाबत मृतका के किसी अन्य वारिसान जिनमे देवर के पुत्र, पुत्रियां या उनके वारिसान ने उक्त अपीलाधीन भूमि बाबत कोई क्लेम ही प्रस्तुत नही किया तो ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मृतका के विधिक वारिसान को नोटिस जारी कर उन्हे तलब कर, उनके बायानात आदि लेने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित करना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल अपीलार्थियां के पक्ष मे मृतका प्रतापकंवर द्वारा निष्पादित अन रजिस्टर्ड वसीयत, के गवाहान को ही तलब कर जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–3–2017 पारित किया है, वह समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–3–2017 को निरस्त कर प्रकरण पुनः तहसीलदार जैतारण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतका प्रतापकंवर के विधिक वारिसान को भी नोटिस जारी कर उनको सुनकर तथा अपीलार्थियां के पक्ष मे निष्पादित वसीयत के दस्तावेज को मध्यनजर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 13–8–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

।